


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (न.प्र.)



314

मार्गदर्शिका न्यायालय
का.प्र. 22-10-16

92-10-16

योगेश्वरि 22/10/16
ल.प्र. 22/10/16

356
92-10-16

- कंदीलाल आत्मज गोरेलाल साहू निग 683-I-16
- राजेश आत्मज कंदीलाल साहू
 - महेश आत्मज कंदीलाल साहू
 - ब्रजेश आत्मज कंदीलाल साहू
 - साकिन- नवोदय वार्ड, हटा, तहसील हटा, जिला दमोह
..... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

श्रीमती साधना सराफ पति सुभाषचंद सराफ,
साकिन- हजारी वार्ड, हटा, तहसील हटा, जिला दमोह
..... उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक
18/03/2016 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा
अंदर राजस्व प्रकरण क्रमांक- 3अ/12- वर्ष 2015-16 पक्षकार
श्रीमती साधना बनाम बलराम बगैरह जिसे श्रीमान् अपर कलेक्टर
महोदय दमोह ने दिनांक 19/09/2016 में क्षेत्राधिकार नहीं होने
से निरस्त किया है ।

मामले के तथ्य :-

- 1- मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 से 4 ने श्रीमती शैलकुमारी खत्री से 50 x 50 वर्गफुट का एक दासा भरा हुआ प्लॉट दमोह-पन्ना मार्ग से लगकर दिनांक-12/05/1998 को क्रय किया था इसी प्रकार पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 ने उक्त प्लॉट से लगकर 25 x 50 वर्गफुट का एक प्लॉट उत्तरवादी से दिनांक- 03/06/2000 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । इन प्लॉटों के पूर्व दिशा

7

[Signature]

.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-3683-एक/2016

जिला-दमोह

कंदीलाल आदि विरुद्ध श्रीमती साधना सराफ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
11-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक की ओर से कुलदीप बंसल अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रकरण क्रमांक 3/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-03-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 08-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(अमर.के. जैन) सदस्य 11-3-19</p>